ए.

श्री एम. एल. पाटिल (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम

गोवा और ए. एन. आर. राज्य। (2022 की सिविल अपील संख्या 4100) 20 मई, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानूनः पेंशन-पेंशन का बकाया-अस्वीकार-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि रिट याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी और उन्हें 58 वर्ष की आयु में गलत तरीके से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त कर दिया गया था, हालाँकि, जब से उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वे दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए किसी भी वेतन/पिछले वेतन के हकदार नहीं होंगे; कि हालांकि वे पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन पेंशन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे; और यह कि संशोधित दरों पर पेंशन केवल 1 जनवरी, 2020 से देय हो जाएगी-अपील पर, कहा गयाः पेंशन कार्रवाई का एक निरंतर कारण है-पेंशन के बकाया से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है जैसे कि वे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो गए होंगे-उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है और केवल 1 जनवरी, 2020 से देय है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से संशोधित दरों पर पेंशन का हकदार रिट याचिकाकर्ता और तदनुसार, उन्हें बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

एफ.

पकड़नाः**1.1** उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए गलती की कि अपीलार्थी पेंशन के किसी भी बकाया का हकदार नहीं होगा और संशोधित दरों पर पेंशन केवल **1** जनवरी**,**

2020 से देय होगी।इस प्रकार**,** उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ताओं को दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए किसी भी वेतन से इनकार करने में सही और/या उचित हो सकता है यदि वे देरी के आधार पर सेवा में बने रहते।हालाँकि**,** जहाँ तक पेंशन का संबंध है**,** यह कार्रवाई का एक निरंतर कारण है।पेंशन के बकाया से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है जैसे कि वे **60** वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो गए हों।कोई ए नहीं है

जी.

एच.

362

363

श्री एम. एल. पाटिल (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम गोवा और ए. एन. आर. राज्य।

उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दरों पर और केवल **1** जनवरी**, 2020** से देय पेंशन से इनकार करने का औचित्य**,** इस प्रकार**,** उच्च न्यायालय द्वारा उस सीमा तक पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।अपीलार्थी**-**मूल रिट याचिकाकर्ता **60** वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से संशोधित दरों पर पेंशन का हकदार होगा।बकाया राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर अपीलार्थी को कर दिया जाएगा।**[**पैरा **3,4] [364-**ई**-**एच**; 365-**ए**-**बी**]**

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील No.4100।

2015 की रिट याचिका No.961 में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.02.2020 के निर्णय और आदेश से।

सी.

राहुल गुप्ता, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

रवींद्र लोखंडे, अभिषेक अत्रे, न्रिंग चामविबो जेलियांग, एड.प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 961/2015 में पारित किए गए विवादित अंतिम फैसले और दिनांकित 11.02.2020 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते

हुए, जिसके द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया है कि संबंधित रिट याचिकाकर्ता ने 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने की मांग की है, उच्च न्यायालय ने पेंशन के बकाया को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि संशोधित दरों पर पेंशन केवल 1 जनवरी, 2020 से देय हो जाएगी, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

2. कि अपीलार्थी-रिट याचिका सं. 961/2015 के मूल रिट याचिकाकर्ता और अन्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें प्रत्यर्थीगणओं द्वारा उन्हें 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।उनके अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने माना है कि संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी और उन्हें गलत तरीके से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त किया गया था।हालाँकि, संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने देर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उच्च न्यायालय ने माना है कि रिट याचिकाकर्ताओं में से कोई भी नहीं है

जी.

एच.

ए.

सेवा में दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए वे किसी भी वेतन/पिछले वेतन के हकदार होंगे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि हालांकि रिट याचिकाकर्ता इस आधार पर पेंशन के हकदार होंगे कि वे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहेंगे, लेकिन वे पेंशन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे और संशोधित दरों पर पेंशन केवल 1 जनवरी, 2020 से देय हो जाएगी। 2.1 उच्च न्यायालय द्वारा दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए पिछले वेतन से इनकार करने तक के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और यह देखते हुए और निर्देश देते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ता पेंशन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे और संशोधित दरों पर पेंशन केवल 1 जनवरी, 2020 से देय हो जाएगी, रिट याचिका संख्या 961/2015 के मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल गुप्ता और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र लोखंडे को सुनने के बाद-गोवा राज्य और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा भी, उच्च न्यायालय ने मूल याचिकाकर्ताओं को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता या उन्हें 60 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं देने में राज्य सरकार की उस कार्रवाई को अवैध और अमान्य माना है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में गलती की है कि अपीलार्थी पेंशन के किसी भी बकाया का हकदार नहीं होगा और संशोधित दरों पर पेंशन केवल 1 जनवरी, 2020 से देय हो जाएगी।इस प्रकार, उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ताओं को दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए किसी भी वेतन से इनकार करने में सही और/या उचित हो सकता है यदि वे देरी के आधार पर सेवा में बने रहते।हालाँकि, जहाँ तक पेंशन का संबंध है, यह कार्रवाई का एक निरंतर कारण है।पेंशन के बकाया से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है जैसे कि वे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो गए हों।उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दरों पर और केवल 1 जनवरी, 2020 से देय पेंशन को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित करने की आवश्यकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

4. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है।उच्च न्यायालय द्वारा पेंशन के किसी भी बकाया को अस्वीकार करने और यह अभिनिर्धारित करने की सीमा तक पारित विवादित निर्णय और आदेश कि अपीलार्थी संशोधित ए में पेंशन का हकदार होगा।

एच.

365

श्री एम. एल. पाटिल (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम गोवा और ए. एन. आर. राज्य।

केवल 1 जनवरी, 2020 से दरों को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता-मूल रिट याचिकाकर्ता

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से संशोधित दरों पर पेंशन का हकदार होगा।अब तदनुसार बकाया का भुगतान आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलार्थी को कर दिया जाएगा।वर्तमान अपील की उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति है।मामले के तथ्यों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.